8.4.22 - पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादियों की प्रपत्र तामील नहीं कराई गई है और ना ही प्रतिवादी वकील द्वारा कोई जवाब दिया गया है। प्रतिवादियों को न्यायालय समय पर बार बार आवाज लगाई गई। लेकिन हाजिर नहीं आये।

अतः पत्रावली नामील के अभाव में अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05 के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (4)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.13 14:40:40 IST
Reason: SelfAttested